316

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

1/86/2017

ई0पी0नं0–4–09
क्रमांक–86/2017
सं0 ई/171/1/भाग–2/चार

दिनांक 16–05–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–आश्रित संबंधियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना–आय की अधिकतम सीमा बढ़ाना।

---

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2010/एच–1/2/21 दिनांक 21.04.2017(क्रम सं0 01 स्वास्थ्य 2017) की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

16.05.17

(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

16.05.17

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

R-50

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. 2010/H-1/2/21 New Delhi, dated 21.04.2017

The General Managers,
All Indian Railways/PUs,
The CAO/DMW/RWP/Bela &The DG/RDSO.

Sub: Grant of Medical facilities to dependent relatives-Raising the income ceiling.

Ref: 1.Railway Board's letter of even no. dated 07.06.2011 & 17.07.2013.
2.Railway Board's letter no. E(W)2016/PSS-1/7 dated 24.11.2016 regarding grant of Privilege Passes/PTOs to dependent relatives-Raising the income ceiling.

In pursuance to Board's letter under reference no. 2, it has been decided to amend the proviso Para 601(5&6) of the Indian Railway Medical Mannual,2000:

(5) *"Family members",and "dependent reletives" for purpose of these rules, will include such person as are eligible under Pass Rules.*
and
(6) *"Beneficiary" is defined as a Railway employee or his/her family member or a dependent relative as defined in the Pass Rules.*

The amendement is as follows:-

"Provided that a person shall not be considered to be a dependent relative if his/her monthly income from all sources including pension,dearness relief,etc., exceeds 15% of the basic pay of the Railway servant or the amount arrived at by adding minimum pension/family pension of ₹ 9000/-(excluding the element of additional pension to old pensioners) and the dearness relief admissible to the pensioner/family pensioner thereon, rounded off the nearest ten rupee figure, whichever is more."

This issues with concurrence of Finance Dte. of Ministry of Railways.

Encl: 1. Advance Correction Slip No. 01 Health 2017
2.Board's letter E(W)2016/PSS-1/7 dated 24.11.2016

(Dr.Amitava Datta)
Executive Director Health (G)
Railway Board
New Delhi, dated 21.04.2017

No. 2010/H-1/2/21
Copy for information and necessary action to:

1. The Chief Medical Directors, Officers, Suprintendents,All Indian Railways/PUs.
2. The Chief Personnel Officers, All Indian Railways/PUs.
3. The Principal Directors of Audit, All Indian Railways/PUs.
4. The General Secretarys, AIRF,Room No.253, NFIR,Room No. 256-E, Rail Bhavan, New Delhi.

For Finance Commissioner, Railway Board

Advance Correction Slip No.01 Health 2017 to the Indian Railway Medical Manual,2000

The proviso below 601(5&6) may be submitted with the following:-

"Provided that a person shall not be considered to be a dependent relative if his/her monthly income from all sources including pension,dearness relief,etc., exceeds 15% of the basic pay of the Railway servant or the amount arrived at by adding minimum pension/family pension of ₹ 9000/-(excluding the element of additional pension to old pensioners) and the dearness relief admissible to the pensioner/family pensioner thereon, rounded off the nearest ten rupee figure, whichever is more."

(Authority Railway Board's letter No. 2010/H-1/2/21 dated 21.04.2017)

क्रम सं.-01स्वास्थ्य 2017

04/2017

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2010/एच-1/2/21. नई दिल्ली, दिनांक 21.04.2017

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/डीआरएम/रेल पहिया परियोजना/बेला एवं निदेशक/अअमासं.

विषय: आश्रित संबंधियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना - आय की अधिकतम सीमा बढ़ाना.

संदर्भ: 1. रेलवे बोर्ड का दिनांक 07.06.2011 एवं 17.07.2013 का समसंख्यक पत्र .
2. आश्रित संबंधियों को सुविधा पास/सुविधा टिकट आदेश प्रदान करने के संबंध में रेलवे बोर्ड का दिनांक 24.11.2016 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएसएस1/7-आय की अधिकतम सीमा बढ़ाना

बोर्ड के पत्र के संदर्भ संख्या 2 के अनुपालन में, भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 10 के परंतुक पैरा 601(5 एवं 6) में आशोधन करने का निर्णय लिया गया है:

(5) *इन नियमों के प्रयोजन के लिए "परिवारजनों" और "आश्रित संबंधियों" में वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो पास नियमों के अनुसार इनके अधिकारी हैं.*

और

(6) *"लाभार्थी"की परिभाषा है- वह रेल कर्मचारी, या उसके परिवारजन या आश्रित संबंधी जैसा कि पास नियमों में परिभाषित है.*

संशोधन इस प्रकार है:-

"यदि किसी व्यक्ति की सभी स्त्रोतों से अर्जित मासिक आय जिसमें पेंशन, मंहगाई राहत आदि शामिल है, रेल सेवक के मूल वेतन के 15% या ₹ 9000/- की न्यूनतम पेंशन/परिवार पेंशन (पुराने पेंशनरों के लिए पेंशन के अतिरिक्त तत्व को छोड़कर) तथा उस पर पेंशनर/परिवार पेंशनर को स्वीकार्य मंहगाई राहत को जोड़ने से प्राप्त राशि को दस रु. के अंक तक पूर्णांकित भी अधिक हो, उससे अधिक है तो वह आश्रित रिश्तेदार नहीं माना जाएगा".

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्न: 1. अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.01 स्वास्थ्य 2017
2. बोर्ड का पत्र ई(डब्ल्यू)2016/पीएसएस-1/7 दिनांक 24.11.2016

(डॉ.अमिताव दत्ता)
कार्यपालक निदेशक/स्वास्थ्य(सा.)
रेलवे बोर्ड